कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष नं.-(07632-248414)
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 4021 बालाघाट, दिनांक 23/ 05/2022

प्रति,

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड,
3 rd फ्लोर, ब्लॉक न. 1, डी.बी.सीटी माल,
एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)

विषयः— Request for granting permission for laying Optical Fiber Cable on Gonglai- Deogaon route total Length's 2.00 Km. (0.1 Ha.) Forest (Conservation) Act 1980, online Proposal No. FP/MP/OFC/36742/2018
आवेदक— रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, 3rd फ्लोर, ब्लॉक न. 1, डी.बी.सीटी, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक–निरंक– दिनांक 28.12.2018 (जो वनमण्डल कार्यालय में प्राप्त आवक क्रमांक– 13460 दिनांक 28.12.2018) एवं पत्र क्रमांक– निरंक दिनांक 11.03.2019 (जो वनमण्डल कार्यालय में प्राप्त आवक क्रमांक– 3102 दिनांक 18.03.2019) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / विविध / 2019 / 10–11 / 117 दिनांक 14.01.2019 तथा मुख्य वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) का पत्र क्रमांक / डी.एम. / 1887 दिनांक 10.05.2022 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / विविध / 2019 / 10–11 / 1742 दिनांक 18.05. 2022 तथा उपवनमण्डलाधिकारी बालाघाट (सा0) उपवनमंडल का पत्र प्रतिवेदन कमांक / 726 दिनांक 12.04. 2022 एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी हट्टा (सा0) परिक्षेत्र का पत्र प्रतिवेदन कमांक परि. / 401 दि0 11.04.2022

—0—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अन्तर्गत आवेदित बालाघाट जिले में इस वनमंडल के वन परिक्षेत्र हट्टा (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वनक्षेत्रों से गुजर रहे Optical Fiber Cable on Gonglai - Deogaon route total Length's 2.00 Km. (0.1 Hac.) मार्ग के किनारे–किनारे (Right of way) में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित प्रभावित वनक्षेत्रो का स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपवनमण्डलाधिकारी बालाघाट (सा0) उपवनमंडल का पत्र प्रतिवेदन कमांक / 726 दि0 12.04.2022 एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी हट्टा (सा0) परिक्षेत्र का पत्र प्रतिवेदन कमांक परि. / 401 दि0 11.04.2022 द्वारा मय अनुशंसा सहित प्रेषित किया है :–

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	केबल लाईन की लम्बाई	केबल लाईन की चौड़ाई	कुल रकबा	जी.पी.एस. रीडिंग (Lat-Long)	
1	हट्टा (सा.) परिक्षेत्र	परसवाड़ा	687	440 मीटर	0.50 मीटर	225 वर्ग मीटर (0.022 हे0)	प्रारंभिक बिन्दु	N 21° 45' 12.42" E 80° 18'02.37"
							मध्य बिन्दु	N 21° 45' 07.038" E 80° 18'03.78"
							अंतिम बिन्दु	N 21° 45' 00.57" E 80° 18'09.81"

अतः उपवनमण्डलाधिकारी बालाघाट (सा0) उपवनमंडल एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी हट्टा (सा0) परिक्षेत्र द्वारा प्रतिवेदित एवं अनुशंसित अनुसार तथा मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक बालाघाट वन वृत्त (म.प्र.) के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक / डी.एम. / 1887 दिनांक 10.05.2022 से जारी सहमति अनुसार एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / विविध / 2019 / 10–11 / 1742 दिनांक 18.05.2022 द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार वनक्षेत्रों से गुजर रहे मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर राईट ऑफ वे (Right of Way) में भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु म.प्र. शासन, वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक / एफ / 5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 18.11.2004, पत्र कमांक / एफ / 5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 14.12.2005 पत्र कमांक / एफ / 5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 01.07.2009, एवं पत्र क0 / एफ–5–11 / 2006 / 10–3 दिनांक 31 मई 2014 तथा कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमाक / एफ–11 / 2015 / 2637 दिनांक 28.10.2015 में निहित प्रावधानों अनुसार उपरोक्तानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में विषयांतर्गत कार्य हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात वह भूमि संरक्षित वन ही रहेगी, तथा उक्त वनभूमि पर अधिपत्य वन विभाग का ही होगा।

(2) प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा ऑन लाईन **राशि कैम्पा खाते के others** मद मे **राशि रूपये 100/–** जमा किया जावेगा।

–2–

(3) वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा तथा भूमि के प्रयोजन में बगैर पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा।

(4) वनभूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 1.65 मीटर गहरा तथा 0.50 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा।

(5) ओ.एफ.सी. भूमिगत केबिल लाईन सड़क किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर राईट ऑफ वे (Right of Way) में ही अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तक ही डालने का कार्य किया जावे। यदि अतिरिक्त चौड़ाई बढ़ाई जाती है अथवा पाई जाती है, तो वन अधिनियमों के अन्तर्गत आवेदक संस्थान के विरूध्द नियमानुसार प्रकरण पंजीबध्द किया जावेगा।

(6) समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा।

(7) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।

(8) वनक्षेत्र में किसी प्रकार की अवैध खुदाई या उत्खनन नहीं किया जावेगा तथा विषयांतर्गत कार्य में वनविभाग के किसी भी सम्पति (वनोपज, गिट्टी, पत्थर, मिट्टी, आदि) का उपयोग न किया जावेगा।

(9) खुदाई का कार्य मशीनों द्वारा नही किया जावे एवं खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा वृक्षों को एवं वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।

(10) कार्य केवल मार्ग के किनारे–किनारे राइट ऑफ वे (Right of Way) क्षेत्र के अन्दर ही करेंगे, तथा प्रभावित वनक्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं काटे जावेगें, न ही वनक्षेत्र को नुकसान पहुचाया जावेगा।

(11) रखरखाव की अनुमति वनमंडलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी ।

(12) आवेदनकर्ता विभाग/संस्थान उपरोक्त प्रभावित वनभूमि तथा उसके चारों ओर क्षेत्र में स्थित जीव–जन्तुओं व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेंगे तथा उनको संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेंगे ।

(13) वनभूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेंगे एवं सूर्यास्त के पश्चात कोई कार्य नहीं किया जावेगा, तथा वनभूमि के आसपास कोई भी प्लान्ट/मशीनरी नहीं लगाई जावेगी।

(14) यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है, तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी।

(15) प्रस्तावित कार्य में प्रभावित वनभूमि अहस्तांतरणीय रहेगी।

(16) भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के कार्य के प्रारम्भ एवं समाप्ति की अवधि सूचित की जावे।

(17) आवेदनकर्ता संस्था वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशो के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तो का पालन करेंगे।

(18) वनसंरक्षण की दृष्टि से यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन/प्रधान मुख्य वनसंरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक तथा वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्तें निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्ते आवेदक/आवेदक संस्थान को मान्य होगी एवं उन्हें मानने के लिए बाध्य होंगे, संबंधी इस आशय का लिखित वचन पत्र प्रस्तुत करे।

(19) प्रदत्त की जाने वाली यह अनुमति, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुवीक्षण किये जाने की शर्त के अधीन मान्य होगी।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो (शर्त क्र0 01 से 19 तक) के संबंध में वांछित वचन पत्र सहित अनुपालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5//2018/निर्देश/10–11/48 दिनांक 06.01.2018 (उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) में दिये गये दिशा निर्देशानुसार एवं प्रक्रियानुसार अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं अभिलेख आदि को आवेदक संस्था अपने लॉगिन से वेबपोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करे। तत्पश्चात अपलोड किये गये **पालन प्रतिवेदन/वचन पत्र एवं अभिलेखों की हार्ड कॉपी इस वनमंडल कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे।** ताकि आपसे उपरोक्तानुसार वांछित संपूर्ण जानकारी एवं अभिलेख हार्ड कॉपी में इस वनमंडल कार्यालय में प्राप्ति होने उपरान्त उक्त प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जा सके। प्रकरण में जब तक इस वनमंडल कार्यालय (अधोहस्ताक्षरकर्त्ता) द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान नही की जाती, तब तक उपरोक्त प्रस्तावित आवेदित वनभूमि क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का कोई गैरवानिकी कार्य नही किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(ग्रेजेश कुमार वरकड़े)
भा0व0से0
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण (सा0) वनमंडल, बालाघाट

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

F:\Computer 2\DM\Project\Reliance Jio Rampura- Dongargaon- 2019\Reliance Jio Infocomm Ltd. Gonglai- Deogaon.doc

पृष्ठ.कमांक / मा.चि. / 4022 / बालाघाट, दिनांक 23/5/2022

प्रतिलिपि :–

(1) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुडा भवन, म0प्र0 भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आपके पत्र क्रमांक / एफ–5 / विविध / 2019 / 10–11 / 1742 दिनांक 18.05.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(2) मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म0प्र0) की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र कमांक / डी.एम. / 1887 दिनांक 10.05.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(3) उपवनमण्डलाधिकारी बालाघाट (सा0) उपवनमंडल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण प्रस्ताव में आपके द्वारा प्रेषित पत्र प्रतिवेदन कमांक / 726 दि0 12.04.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(4) वनपरिक्षेत्र अधिकारी हट्टा (सा0) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण प्रस्ताव में आपके द्वारा प्रेषित पत्र प्रतिवेदन कमांक परि. / 401 दि0 11.04.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(5) शाखा प्रभारी व्यय / राजस्व शाखा वनमण्ड़ल कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(ग्रेजेश कुमार वरकड़े)
भा0व0से0
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल, बालाघाट

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

F:\Computer 2\DM\Project\Reliance Jio Rampura- Dongargaon- 2019\Reliance Jio Infocomm Ltd. Gonglai- Deogaon.doc